(181)

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक निगरानी-0794/2019/छतरपुर/भू.रा. सन् 2019

1.नथुवा तनय सुखसींगा अहिरवार

2.लछुवा तनय सुखसींगा अहिरवार

नि.ग्राम बगौता तह. व जिला छतरपुर म0प्र0..................निगरानीकर्तागण

बनाम्

शासन मध्यप्रदेश..गैरनिगरानीकर्ता

आर. एस. सेंगर 17-7-19

आर. एस. सेंगर आज दि. 17-7-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-8-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-7-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

निगरानी विरूद्ध योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्रकरण क. 401/अ–6–अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2019 से दुखित होकर।

महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 794/2019/छतरपुर/भू0रा0

नथुवा आदि विरूद्ध म0 प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-8-2019	आवेदक अभिभाषक एवं शासकीय अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र. क्र. 401/अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 03-05-2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17-7-2019 को प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-7-2018 को हुए संशोधन अधिनियम 2018 के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(2)(ख) अनुसार इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जायेगा। फलस्वरूप यह निगरानी आवेदन सुनवाई के लिए अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे 0के0 जैन) सदस्य	